

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसोरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 120/2019 (Bank Case)

"आन्धा बैंक, शाखा तलवंडी, कोटा


- प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र श्री नाथ शर्मा
पता- मकान नं. 2, एफ-7, महावीर नगर विस्तार, आनंदपुरा, फूटा
तालाब, कोटा, जिला कोटा (राजस्थान)
2. श्रीमति कलावती शर्मा पत्नि श्री मुरली मनोहर शर्मा
पता- 2-एफ-7, महावीर नगर विस्तार, शिव ज्योति कन्वेंट स्कूल के
सामने, कोटा (राजस्थान)

(ऋणी / जमानतदार)

- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्युरिटीजेशन रिकसाट्रक्शन आफ फाईनेंशियल
ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्क्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002


उपरिष्ठत

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "आन्धा बैंक, शाखा तलवंडी, कोटा राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 13.11.2017 को रूपये 26,00,000/- (अक्षरे: रूपये छब्बीस लाख, मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं० 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन मकान नं० 2-एफ-7, महावीर नगर विस्तार कोटा (राजस्थान) में स्थित है, जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी कन्वेंस डीड जून-2013 से अलोटी श्रीमति कलावती शर्मा पत्नि मुरली मनोहर शर्मा के नाम से है, जिसकी चर्तु: सीमाएं :- पूर्व में-मकान नं. 2-एफ-49, पश्चिम में रोड, उत्तर- मकान नं. 2-एफ-6, दक्षिण- मकान नं. 2-एफ-8, है । को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 30.04. 2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 26,48,691/- (अक्षरे रूपये छब्बीस लाख, अड़तास हजार, छः सौ इकरानवें मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 01.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा


जिष्ठा कलेक्टर
कोटा


The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संगलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 01.05.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन मकान नं० 2-एफ-7, महावीर नगर विस्तार कोटा (राजस्थान) में स्थित है, जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी कन्वेंस डीड जून-2013 से अलौटी श्रीमति कलावती शर्मा पत्नि मुरली मनोहर शर्मा के नाम से है, जिसकी चर्तुः सीमाएं :- पूर्व में-मकान नं. 2-एफ-49, पश्चिम में रोड, उत्तर- मकान नं. 2-एफ-6, दक्षिण- मकान नं. 2-एफ-8, है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सुनाया गया ।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा